

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन मुकदमा नम्बर 192 / 20 24

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|------------------------------|--|
|------------|------------------------------|--|

28/02/24

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री श्रीराम बिजौरा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 PLR Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/07/2024 को पेश हो।

15/02/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन ~~बिजौरा~~ गाम्बिजपुरा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थीगण को जवाब पेश करने का अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः उनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने वदस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की वदस सुनी गई। वदस पर मतल किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। नैबमहंदा निर्णय

खटवली
प्रतिवादी सं. 146/16
वेबराम देवासी
राजको. सं. 191/24

अलग से लिखा जाकर शामिल प्रावली किया
जाता है। प्रावली कैसन शुमार होकर दखिल
दफतर हो। संख्या से एक कम हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 192/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सतारखान वगैरा बनाम उकाराम वगैरा


पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री श्रीराम विशनोई

निर्णय

दिनांक - 15/07/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा संख्या क्रमशः 74/516, 74/554 रकबा क्रमशः 3.2375 हैक्टर, 3.3913 हैक्टर जुमले रकबा 6.6288 हैक्टर किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा संख्या क्रमशः 74/516, 74/554 रकबा क्रमशः 3.2375 हैक्टर, 3.3913 हैक्टर जुमले रकबा 6.6288 हैक्टर किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौकों की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। प्रार्थना पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15/07/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा जिला
(SBO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|--|------|--|
| 1. सतारखान पुत्र रहीम खान 2. खाकु पुत्र रावत 3. गुलाम पुत्र सचू 4. मुबारक पुत्र सचू 5. मिश्री पुत्र सचू 6. हारुण पुत्र सचू 7. सावन पुत्र मिहल 8. हासम पुत्र मिहल 9. लतीफा पत्नि मिहल जाति मुसलमान, निवासी झड़पा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। | | 1. उकाराम पुत्र भीमा 2. रवजी पुत्र भीमा 3. दलाराम पुत्र भीमा 4. मरियम पत्नि भीमा 5. सवा पुत्र सुमरा 6. काजा पुत्र सुमरा 7. जोरा पुत्र सुमरा 8. सवीरा पत्नि मलूका 9. हरिया पुत्र किरता 10. नोजा पुत्र जवानाराम 11. भवाराम पुत्र जवानाराम 12. रूगनाथराम पुत्र ताजाराम 13. रमलाल पुत्र हटाराम जाति भील, निवासी झड़पा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 14. नागोदर पुत्र पीरू 15. बचल पुत्र पीरू 16. मलार पुत्र पीरू 17. रहमानखान पुत्र हिलालखान 18. लालू पुत्र उस्मान 19. समी पत्नि मालक जाति मुसलमान, निवासी झड़पा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 20. तहसीलदार सेड़वा |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 192/2024

दिनांक : 15/07/24

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू. अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा संख्या क्रमशः 74/516, 74/554 रकबा क्रमशः 3.2375 हैक्टर, 3.3913 हैक्टर जुमले रकबा 6.6288 हैक्टर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ./2024/2289-92

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीनी सतारखान पुत्र रहीमखान।
3. विप्रार्थीगण उकाराम पुत्र भीमा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

o/c
 (बिरेन्द्रसिंह भाटी)
 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा
 दिनांक 15/07/24

o/c
 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा
 (SDO) सेड़वा